जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

D. O. No. 25....../VIP/OO/...(...D)

दिनांक: 9 सितम्बर, 2011

प्रिय मायावतीजी -

मैं महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में सुधारों के विषय में ग्रामीण विकास मंत्रालय में तैयार किया गया नोट आपको भेज रहा हूँ। यह नोट अनेक संगठनों और राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों तथा विभिन्न सक्रिय विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इन सुधारों के लिए किन्हीं विधायी परिवर्तनों की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सुधार केन्द्र तथा अधिकांशतः राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यकारी कार्रवाई पर निर्भर हैं।

मैं महात्मा गांधी नरेगा के उद्देश्यों की अधिक ठोस रूप में और अधिक व्यापक पैमाने पर पूर्ति के लिए इन सुधारों का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में आपका सक्रिय सहयोग चाहता हूँ। आशा है कि इस विषय में आपका निरंतर सहयोग मिलता रहेगा।

सादर,

आपका,

जयराम रमेश

(जयराम रमेश)

कुमारी मायावती
मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

संलग्नक : यथोक्त

1 सितम्बर, 2011

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार

इस नोट में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में आने वाली नौ प्रमुख चुनौतियों के बारे में संक्षेप में बताया गया है, इनमें से प्रत्येक का निदान बताया गया है और संभावित समाधानों की जानकारी दी गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

पौधरोपण और भूमि विकास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा का विस्तार।

- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, विद्यालय शौचालय खंडों, आंगनवाड़ी शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण की अनुमति देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा का संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ तालमेल।
- प्रभावी सामाजिक लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए सीएजी के परामर्श से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना।

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी) ने महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए छः कार्य समूहों का गठन किया था। योजना आयोग ने हाल ही में एक नोट प्रस्तुत किया है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा में प्रमुख सुधारों का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद ने सिफारिशें की हैं जिसमें कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा, मनरेगा संबंधी सिविल सोसायटी संगठनों के राष्ट्रीय संघ ने "महात्म गांधी नरेगा : अवसर, चुनौतियां और भावी कार्य" नामक अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित की है। मुझे विभिन्न व्यक्तियों से सुधार के लिए अनेक सुझाव भी मिले हैं।

इन सभी सिफारिशों, सुझावों और रिपोर्टों के आधार पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय में महात्मा गांधी नरेगा कार्यान्वयन में सुधार संबंधी समेकित रिपोर्ट तैयार की गई है। इन सुधारों को लागू करने से पूर्व, मैंने यह सोचा कि लोगों की प्रतिक्रिया और टिप्पणियां जानने के लिए इस नोट को दो से तीन सप्ताह के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना काफी उपयोगी रहेगा। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इन सुधार उपायों में किसी प्रकार का कानूनी संशोधन शामिल नहीं है और इन्हें केन्द्र और राज्यों की निष्पादनात्मक कार्रवाई से ही लागू किया जा सकता है। प्रारंभ में इन सुधारों को देश के 2000 निर्धनतम ब्लॉकों, खासकर जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सघन आबादी है, में क्रियान्वित किया जा सकता है।

जयराम रमेश

जयराम रमेश
ग्रामीण विकास मंत्री
31 अगस्त, 2011

- प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक 3 माह में एक बार रोजगार दिवस मनाएगी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत चालू एवं बाद की तिमाहियों के लिए अपनी तरफ से संभावित श्रमिकों से कार्य के लिए आवेदन मांगेगी। इस अवसर पर आवेदकों को तारीखयुक्त पावतियां दी जाएंगी। इस तिमाही रोजगार दिवस के दौरान बेरोजगारी भत्ते से संबंधित दावे निपटाए जाएंगे और श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायत द्वारा अब तक नामित विविध माध्यमों के जरिए कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था जारी रहेगी। ग्राम पंचायतों को ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी को तिमाही आधार पर कार्य के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा मांगे गए श्रम दिवसों की संख्या की जानकारी देनी होगी।

- महात्मा गांधी नरेगा प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एमआईएस) में कार्य की मांग का रिकार्ड रखा जाएगा। उसके बाद इसमें कार्य के लिए दिए गए आवेदन की तारीख और कार्य शुरू करने की तारीख के बीच के समयांतराल पर नजर रखी जाएगी। मनरेगा सॉफ्टवेयर में, काम मांगने वाले ऐसे श्रमिकों, जिन्हें मांग किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य नहीं मिला है, को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए स्वचालित रूप से पे-ऑर्डर तैयार होगा। इस पर तैयार की गई रिपोर्ट राज्य स्तर पर बनाई जाने वाली रिपोर्टों का अनिवार्य हिस्सा होगी।

- आवेदन लेने और तारीखयुक्त पावतियां देने से मना करना मनरेगा की धारा 25 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा।

- श्रमिकों के लिए मनरेगा वेबसाइट के अलावा, मोबाइल टेलीफोन के जरिए कार्य के लिए आवेदनों को रजिस्टर करने की व्यवस्था की जा सकती है और इसे सीधे एमआईएस में फीड किया जाना चाहिए। मोबाइल टेलीफोन के मामले में यह व्यवस्था अशिक्षित श्रमिकों के लिए सुविधाजनक बनाई जानी चाहिए और इसमें निश्चित रूप से इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पाँस सिस्टम (आईवीआरएस) और वॉयस इनेबल्ड इंटरएक्शन्स शामिल होने चाहिए। इस विकल्प में स्वतः तारीखयुक्त पावती जारी होनी चाहिए। कार्य के लिए ऐसे आवेदनों की जानकारी बिना किसी विलंब के संबधित ग्राम पंचायत को दी जानी चाहिए। इस प्रणाली को बनाने के लिए तुरंत किसी आईटी वेंडर को नियुक्त किया जाएगा।

चुनौती 2 : अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को कम करना

चूंकि कामगारों की मांग के अनुसार समय पर कार्य शुरू नहीं किया जाता है और आम कामगारों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कार्य कब शुरू किया जाएगा इसलिए पलायन करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता है ।

चुनौती 2 के समाधान :

- वर्तमान कार्य पद्धति में विगत वर्ष के निष्पादन के आधार पर श्रम बजट तैयार करना और अगले वर्ष में कार्य की संभावित मांग का विभिन्न अनुमानों एवं परिकलनों के आधार पर आकलन करना है । श्रम बजट के अंतर्गत मौसम के आधार पर संभावित कामगारों से कार्य की मांग का आकलन अलग से नहीं किया जाता है । इस समय श्रम बजट पूर्णतः मांग प्रेरित (कार्य की मांग द्वारा प्रेरित, जैसाकि एमजीएनआरईजीए में अपेक्षित है) की बजाय आपूर्ति आधारित (कार्य उपलब्ध कराने की क्षमता और विगत वर्ष के निष्पादन द्वारा निर्धारित) है । इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत संभावित कामगारों को अपनी इस आवश्यकता के समय कार्य सुनिश्चित नहीं किया जाता है । इससे उन गांवों में भी अभावजनित पलायन की स्थिति परिलक्षित होती है जहां एमजीएनआरईए लागू है ।
- इस समय यह आशा की जाती हे कि श्रम बजट को प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के पहले ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए । परिवारों के पलायन को रोकने के लिए यह बहुत विलम्ब से किया गया उपाय है क्योंकि पलायन संबंधी निर्णय सामान्यतः मानसून के समय में लिए जाते हैं । कार्य की समयबद्ध गारंटी नहीं रहने पर खरीफ फसल की कटाई के बाद अनेक लोगों के पलायन करने की संभावना रहती है । इस तरह ग्राम पंचायत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि खरीफ फसल की कटाई के बहुत पहले संभावित कामगारों को रोजगार की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया जाए ।
- अनेक राज्यों में इस समय कार्य पद्धति यह है कि प्रत्येक बार ग्राम पंचायतों को कार्य शुरू करना होता है उन्हें ब्लॉक स्तर पर परियोजना अधिकारी से कार्य आदेश (वित्तीय मंजूरी) लेना होता है । इससे बहुत विलम्ब होता है और कार्य की मांग पूरी करने तथा अभाव जनित पलायन को रोकने के लिए समय पर कार्य शुरू करना ग्राम पंचायत के लिए असंभव हो जाता है ।

- वार्षिक कार्य योजना में उल्लिखित सभी कार्यों को एक बार में ही प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति दी जानी चाहिए । ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया जाना चाहिए ताकि वे ऐसे कार्यों के लिए आदेश जारी करें जो वार्षिक योजना में उल्लिखित हैं एवं प्रत्येक बार ब्लॉक से स्वीकृति की मांग किए बिना आवश्यकतानुसार कार्य शुरू करें ।

चुनौती 3 : कामगारों को भुगतान में विलम्ब में कमी करना

चुनौती 3 के समाधान :

- यह स्मरणीय है कि महात्मा गांधी नरेगा (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत मजदूरी किए गए कार्य की मात्रा से संबंधित है । इसका तात्पर्य है कि एमजीएनआरईजीए कामगारों द्वारा किए गए कार्य की पहले माप करने की आवश्यकता है । मजदूरी का भुगतान मस्टर रोलों मापन पुस्तिका और कार्यों के भौतिक मूल्यांकन की जांच के बाद किया जाता है । इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त कार्मिकों की कमी एक मुख्य कठिनाई है जिससे यह विलम्ब होता है ।
- कभी-कभी भुगतान में विलंब इस वजह से होता है कि ग्राम पंचायतों के पास मजदूरी भुगतान करने के लिए अपने पास पर्याप्त निधियां नहीं हैं । ऐसा इसलिए है कि ग्राम पंचायतों को निधियां अलग-अलग कार्य के आधार पर रिलीज की जाती हैं ।
- जब से बैंकों / डाकघरों के माध्यम से भुगतान को एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है बैंकों / डाकघरों की पर्याप्त संख्या में कमी और उनमें कार्य करने वाले पर्याप्त कार्मिकों की कमी विशेषकर सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में मुख्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है जिससे मजदूरी भुगतान में बहुत विलम्ब होता है ।
- अधिकांश राज्य प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे भुगतान में विलम्ब का पता लगाने में समर्थ नहीं है ।

से मजदूरी प्राप्त कर लेते हैं । भुगतान संबंधी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध होने से सार्वजनिक समीक्षा और पारदर्शिता में सहायता मिलती है ।

- यदि कार्यों का मूल्यांकन समय पर नहीं किया जा सकता है तो ग्राम पंचायत को दैनिक निर्धारित मजदूरी के आधार पर परिकलित बकाया मजदूरी के आधे हिस्से की अंतरिम रिलीज करने की अनुमति दी जाती है । इस प्रयोजनार्थ मस्टर रोले को प्रारंभिक जॉच के आधार पर ग्राम पंचायत / रोजगार गारंटी सहायक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए । ऐसी स्थिति में अगला भुगतान हमेशा मूल्यांकन कार्य पूरा करने के बाद ही किया जाना चाहिए ।

चुनौती 4 : मांग के अनुसार पर्याप्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराना

चुनौती 5 : एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना और गरीबों की आजीविका के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता

चुनौती 4 एवं 5 के समाधान :

- एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत कार्यों को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्या ग्राम पंचायतों की सहायता करने वाले उन तकनीकी कार्मिकों की कमी है जो बनाई एवं कार्यान्वित की जाने वाली पर्याप्त आकार एवं गुणवत्ता वाली योजनाओं में सहायता करेंगे । एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की बड़ी भूमिका है । प्रत्येक ग्राम पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि वे (क) समुदाय को जागरूक बनाएं, कार्य की मांग को सुविधाजनक बनाएं एवं श्रम बजट तैयार करें (ख) वार्षिक योजना बनाएं (ग) अनुमेय कार्य निष्पादित करें, और (घ) ग्राम पंचायत के भीतर कार्यरत अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के निष्पादन की निगरानी करें । इस समय ग्राम पंचायतों के पास इन कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता नहीं है और उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यों के चयन स्थल और डिजाइन संबंधी कोई तकनीकी साधन नहीं है । प्रशासन एवं सामुदायिक जुटान से संबंधित मामलों के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं हैं ।
- चूंकि परियोजनाओं की सूची एक बार में केवल एक वर्ष के लिए बनाई जाती है इसलिए कार्यों की संख्या और उसकी तकनीकी जॉच पर्याप्त नहीं है ।
- एमजीएनआरईजीए को संचालित करने वाले कार्मिकों के पास क्षमता की कमी।

- राज्यों ने बार-बार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यों की सूची में अत्यधिक कठोरता की शिकायत की है, जिससे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।
- वन क्षेत्रों जो कि सामान्यतः जनजातीय क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा कैचमेंट क्षेत्र हैं, में भी वन विभाग के साथ पर्याप्त समन्वय न हो पाने के कारण समस्याएं आई हैं ।

4 तथा 5 चुनौतियों के समाधान

- ब्लॉक/मंडल स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सभी कार्यों में से कम से कम दो तिहाई कार्यों में भूमि तथा जल संसाधनों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे उक्त संसाधनों की उत्पादकता तथा निर्धनों की आय में सतत रूप से वृद्धि हो सके ।
- कार्यों को सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गांव या पुरवा स्तर पर बनाई गई बहु-वर्षीय योजना के आधार पर शुरू किया जाएगा । योजनाएं वैज्ञानिक सिद्धांतों (वाटरशेड सिद्धांत) पर आधारित होंगी । जिनका उद्देश्य संबंधित गांव में प्राकृतिक संसाधन आधार विकसित करना है । इन योजनाओं में किसानों से संबंधित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)/वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आदि के लिए उत्पादकता एवं आय बढ़ाने की योजनाओं के तालमेल संबंधी प्रावधान शामिल होगा ।
- सामुदायिक कुओं को प्राथमिकता दी जाएगी जहां सिंचाई हेतु कुएं बनाए जाते हैं।
- कार्यान्वयन प्रणालियों से प्रमुख स्टेकहोल्डरों अर्थात् मजदूरी मांगकर्ताओं, की कार्य के स्वरूप एवं उन्हें शुरू करने की समय-सीमा के संबंध में, निर्णय लेने में अधिक भूमिका सुनिश्चित होगी ।
- प्रत्येक ब्लॉक को ग्राम पंचायतों के समूह में बांटा जाएगा जिसमें 15000 जॉब कार्डों तथा/अथवा 15000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जो कि मोटे तौर पर व्यापक रूप से एक मिल्ली-वाटरशेड एवं स्थानीय एक्यूफर के संगत होगा । इससे वाटरशेड सिद्धांतों तथा एक्यूफर आधार पर योजनाएं बनाई जा सकेंगी । सहायक कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ) के नेतृत्व में एक बहुपक्षीय दल प्रत्येक समूह की देखरेख करेगा और इसमें सामुदायिक एकजुटता, वाटरशेड विकास, कृषि तथा संबद्ध आजीविका संबंधी विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे । समूह दल

प्राधिकरणों को तकनीकी आयोजना एवं कार्यान्वयन सहायता कार्यक्रम के माध्यम से इसका निष्पादन किया जा सकता है ।

- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उत्तम प्रक्रियाओं की सूची तैयार की जानी चाहिए और कपार्ट के समर्थन वाले गैर-सरकारी संस्थाओं के परिसंघ के माध्यम से इनकी प्रचार-प्रसार हेतु योजना बनाई जानी चाहिए ।
- ब्लॉक स्तर पर 60:40 का अनुपात बनाए रखने को निर्दिष्ट करके सामग्री घटक के क्षेत्रीय वितरण में असंतुलन को कम किया जा सकता है ।
- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यों की सूची का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि (क) प्राकृतिक संसाधन के रूप में स्थायी निधि, (ख) कृषि-पारिस्थितिकी स्थितियों, (ग) आजीविका पद्धतियों और (घ) आयोजना एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी संस्थाओं की क्षमता में विविधता के परिप्रेक्ष्य में स्थान-विशिष्ट लोचनीयता लाई जा सके । राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त विविधताओं के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्वीकार्य कार्यों जिन्हें बाद में केन्द्र द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, की सूची इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि वह महात्मा गांधी नरेगा की मूल संरचना के अनुरूप हो ।
- जनजातीय क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में सुधार के लिए वन विभाग के साथ बेहतर समन्वय आवश्यक है । इस समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु प्रभागीय वन अधिकारी तथा महात्मा गांधी नरेगा जिला कार्यक्रम समन्वयक के बीच मासिक बैठक को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ।

चुनौती 6 : महात्मा गांधी नरेगा में निर्धारित मजदूरी का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना

चुनौती - 6 के निदान :

- कुछ राज्यों द्वारा अभी अपनी दर अनुसूची को संशोधित किया जाना है । पहले से ही, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मशीनों का उपयोग करके ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते रहे हैं । इन कार्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली दर अनुसूची में महात्मा गांधी नरेगा जैसे कार्यक्रम के मामले में श्रमिकों विशेष रूप से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि इसमें ठेकेदारों तथा मशीनरी के उपयोग पर प्रतिबंध है । दर अनुसूची विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय स्थितियों के अनुकूल भी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, कभी-कभी कामगारों को महात्मा गांधी नरेगा के तहत निर्धारित मजदूरी नहीं मिल पाती है ।

चुनौती - 7 के निदान :

- महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार संबंधी मांग को पूरा करने के लिए कार्यों की सूची निर्धारित करने में ग्राम पंचायतों को प्रमुख महत्व दिया जाता है । उक्त सूची तैयार करते समय, लोगों की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन आधार आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए । साथ ही, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित करने हेतु प्रस्तावित परिसम्पत्तियां स्थायी एवं लाभकारी होनी चाहिए । जमीनी स्तर पर नियोजन, केवल संसाधनों के आबंटन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि अधिकारिता प्रदान करने का साधन भी है । योजना आयोग ने भी दिनांक 25 अगस्त, 2006 के पत्र के माध्यम से जारी परिपत्र में जमीनी स्तर पर नियोजन का बात कही है । तथापि, वास्तविक रूप से इसे अधिकांश स्थानों पर कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।
- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यों को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्या, सहभागिता दृष्टिकोण अपनाते हुए एक व्यापक एकीकृत योजना तैयार करने के संबंध में ग्राम पंचायतों की क्षमता न होना है ।
- महात्मा गांधी नरेगा के दिशानिर्देश, समस्त देश के लिए समान हैं और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों आदि जैसी क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि किसी क्षेत्र में अत्यधिक सफल कार्यक्रम अन्य क्षेत्रों में ज्यादा सफल नहीं हो सकता है ।

चुनौती -7 के समाधान

- महात्मा गांधी नरेगा की आयोजना एवं उसके कार्यान्वयन के लिए एक प्राकृतिक बसावट को इकाई माना जाना चाहिए ।
- " हेबीटेशन एसेम्बली " द्वारा एक " बसावट स्तरीय समिति " (एचएलसी) गठित की जाएगी, जिसमें बसावट के सभी व्यस्क सदस्यों को शामिल किया जाएगा । वार्ड सदस्य, एचएलसी का अध्यक्ष होगा और इसमें महात्मा गांधी नरेगा स्थायी श्रम समूहों, बसावट स्तरीय वाटरशेड समितियों, एसएचजी एवं निर्धनों की ऐसी अन्य संस्थाओं, लघु एवं सीमान्त किसान परिवारों, भूमिहीन/सम्पत्ति-विहीन कृषि कामगारों, महिलाओं और अनु0 जातियों/अनु0 जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । एचएलसी के आधे सदस्य महिलाएं होंगी । एचएलसी, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए एजेंसी होगी

- वर्षा जल संग्रहण के उपायों जैसे क्षेत्र बंधों, दरारों, खेत के तालाबों और रोक बांधों को गांव की सभी भूमियों में किया जाए जिसमें स्वामित्व के सभी वर्गों से संबंधित निजी भूमियां और सामान्य तथा सार्वजनिक भूमि शामिल हैं। तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों से संबंधित भूमियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले कवर किया जाएगा, इसके बाद छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित भूमि को कवर किया जाएगा। इन भूमियों को कवर करने के बाद गांव की सामान्य और चरागाह भूमियों को दूसरी प्राथमिकता पर कवर किया जाएगा। भूमियों के इन वर्गों को संतृप्त करने के बाद, इन क्रियाकलापों के लिए भूमि के अन्य वर्गों को लिया जाएगा।
- भूमि विकास जिसमें शामिल है जमीन को समतल बनाना, बागवानी, सिंचाई (खुले कुँए और कुँओं की खुदाई सहित), वृक्षारोपण, जड़ी-बूटी, घास, चारा वाले वृक्ष, पत्थरों को हटाना, मिट्टी की उर्वरता के उपायों जैसे तालाब गाद संबंधी अनुप्रयोग जिसमें परिवहन, खाद, हरी खाद इत्यादि शामिल हैं, को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों की भूमियों तक सीमित किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल की भूमियों को संतृप्त करने के बाद छोटे और सीमांत किसानों की भूमियों पर कार्य किया जाएगा।
- अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य में गरीबों के संसाधनों विशेष रूप से बीपीएल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभिभावी प्राथमिकता दी जाएगी।
- ऐसे अनेकों स्वैच्छिक संगठन हैं जिन्होंने जमीनी स्तर की आयोजना के उत्कर्ष्ठ प्रतिमान दिए हैं। कपार्ट के माध्यम से इन प्रतिमानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।
- इनके अलावा और भी अनेकों प्रतिमान हो सकते हैं जो गैर-स्वैच्छिक संगठन हो सकते हैं परंतु ये कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में स्व-सहायता समूहों, भारत निर्माण के स्वयं सेवकों और अन्यों पर आधारित होंगे।
- प्रत्येक जिले अथवा ब्लॉक में जमीनी स्तर की आयोजना और कार्यान्वयन के प्रतिमान विकसित किए जाने चाहिए। ये प्रतिमान अन्य संगठनों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र में हिवरे बाजार देश की सभी अन्य पंचायतों के लिए प्रकाशदीप संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- जमीनी स्तर की आयोजना का तरीका संपूर्ण लाभ पर जोर देकर संशोधित किया जाना है जो कार्यक्रम-वार प्रत्येक परिवार को प्राप्त होगा। यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक लक्षित परिवार सीएसएस और एसीए कार्यक्रमों से अधिकतम प्राप्य लाभ प्राप्त करें।

माह-वार ब्यौरे को जमा कराने में काफी समय लगाया तथा 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष का ब्यौरा भी जमा कराने में काफी समय लगाया जिसके परिणामस्वरूप निधियों को रिलीज करने में देरी हुई। क्षमता की कमी के कारण राज्य सरकार और जिला प्रशासन समय पर प्रस्ताव जमा नहीं करा पाए।

- राज्यों ने समय पर उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एआर) जमा नहीं की,
- प्रायः उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एआर) के आंकडे मेल नहीं खाते, जिसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक।
- मंत्रालय में जांच में भी ज्यादा समय लग सकता है जिसके परिणामस्वरूप निचले स्तर पर निधियां खप जाती हैं। जी पी आमतौर पर कार्य तब शुरू करती हैं जब उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि निधियां ग्राम पंचायतों तक पहुँच गई हैं।
- " पूर्व शर्तों " का पूरा न होना (दूसरी किस्त को जारी करने के लिए)। तथापि ऐसी शर्तों में प्रायः छूट दी जाती है और राज्यों को सलाह दी जाती है कि अगली किस्त की रिलीज के लिए प्रस्तावों को भेजने से पहले इन शर्तों को पूरा करें।
- राज्यों में ज्यादा अथ शेष हो गया है जिसके कारण प्रचुरता के बीच निधियों की कमी की विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई है।

चुनौती 8 के समाधान

- मंत्रालय ने एक प्रमुख लेखा व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिससे मासिक श्रम बजट के अनुसार संप्रेषित श्रम सीमा के अंदर पंचायतें निधियों का उपयोग करना शुरू कर सके।
- एमआईएस में बताए गए व्यय के आधार पर प्राधिकार जारी किया जाएगा।
- प्रत्येक राज्य को श्रम बजट की तैयारी प्रक्रिया हेतु ब्लॉक और पंचायत स्तर के अधिकारियों को अवश्य प्रशिक्षण देना चाहिए जो सही रूप में एमजीनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग को दर्शाता है।
- काम करने वालों को नरेगासाफ्ट के उपयोग/एमआईएस के उन्नयन के संबंध में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि केन्द्र सरकार से निधियों को जारी करने के लिए प्रस्तावों को बिना गलतियों के तैयार किया जा सके।
- मंत्रालय ने वित्तीय प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए ऑन लाईन की सुविधा दी है। राज्य सरकार को सभी निधि रिलीज प्रस्तावों को ऑन लाईन जमा कराना

- राज्य सरकार की लागत पर विलंबित मजदूरियों के लिए मुआवजा के प्रो-एक्टिव स्वचालित भुगतान की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
- प्रत्येक एमजीनरेगा संबंधी कार्य करने वाले के लिए 'जॉब चार्ट' अनिवार्य होना चाहिए जिसमें उसकी मुख्य जिम्मेवारियां दी गई हों, बिना किसी वैध कारण के जॉब चार्ट का कोई उल्लंघन धारा 25 के अंतर्गत स्वतः शास्ति का कारण होना चाहिए।
- प्रत्येक जिले में आधुनिक हेल्प-लाईन (इंटरनेट पर पाए जाने वाले कंप्यूटरीकृत रिकार्ड इत्यादि के साथ) स्थापित की जानी चाहिए ताकि कामगार बिना किसी रूकावट के शिकायतें दर्ज करा सकें, अपनी शिकायत की स्थिति देख सकें तथा समय पर कार्रवाई के लिए किसी की जिम्मेवारी निर्धारित कर सके।
- झारखंड और छत्तीसगढ़ के पहले के प्रयोगों पर स्वतंत्र 'सहायता केन्द्र' (हैल्प सेंटर) भवन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।
- " ओम्बड्समैन " व्यवस्था की पूरी जांच की जानी चाहिए ताकि ओम्बड्समैन जिला स्तर पर अधिकार प्राप्त, पूर्ण-कालिक शिकायत निपटाने वाले अधिकारियों के रूप में कार्य करे।